



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी.टी. रोड, कानपुर में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए
आई.टी.आई. उम्मीदवारों के चयन हेतु आवेदन पत्र
(अंतिम तिथि- 11/05/2026)

क्रम सं.	विवरण	ब्योरा					
1	अप्रेंटिस पंजीकरण सं. (पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण प्रोफाइल दर्शाते हुए फोटोकॉपी संलग्न करें) अन्यथा आवेदन मान्य नहीं होगा।						
2	उम्मीदवार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
3	पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
4	माता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
5	जन्म तिथि	अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ यहाँ चिपकाएं					
6	लिंग						
7	आधार कार्ड संख्या (स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)						
8	पैनकार्ड संख्या (स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)						
9	शैक्षिक योग्यता						
9.1	हाईस्कूल में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	प्राप्तांक		पूर्णांक			
9.2	हाईस्कूल में प्राप्त प्रतिशत						
9.3	आई.टी.आई. संस्थान का नाम एवं पता सहित						
9.4	आई.टी.आई. में ट्रेड						
9.5	आई.टी.आई. में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)		सेमेस्टर-I	सेमेस्टर-II	सेमेस्टर-III	सेमेस्टर-IV	कुल
कुल							
प्राप्त अंक							

9.6	आई.टी.आई. में प्राप्त प्रतिशत						
9.7	प्रमाणीकरण प्रकार (कृपया चिन्हित करें)	NCVT			SCVT		
10	जाति (स्पष्ट अक्षरों में)						
11	आप किस श्रेणी से संबंध रखते हैं (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)	एसीसी	एसटी	ओबीसी	पीएच	ई.डब्ल्यू.एस	जनरल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारिरिक रूप से दिव्यांग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	सामान्य वर्ग
12	एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/अन्य होने की स्थिति में कृपया संबंधित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें	क्या प्रमाण पत्र संलग्न किया? (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)			हाँ	नहीं	
13	पत्र व्यवहार का पता (स्पष्ट अक्षरों में) ** पिन कोड अनिवार्य है						
		पिन					
14	सम्पर्क	लैडलाइन:-					
		मोबाइल:-					
		ई-मेल:-					
		अभिभावक मोबाइल नं. :-					

नोट- उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर अप्रेंटिस के रूप में पंजीकरण कराएँ और उस संख्या को आवेदन फार्म में दर्शाएँ (वेबसाइट का नाम - (www.apprenticeshipindia.gov.in) पोर्टल पर संबंधित ट्रेड एलिम्को Establishment में भी आवेदन करें। अन्यथा आपका आवेदन मान्य नहीं होगा।

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान-

दिनांक-

उम्मीदवार के हस्ताक्षर (कृपया बॉक्स के अंदर करें)



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी.टी. रोड, कानपुर में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए
पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) उम्मीदवारों के चयन हेतु आवेदन पत्र
(अंतिम तिथि-11/05/2026)

क्रम सं.	विवरण	ब्योरा							
1	अप्रेंटिस पंजीकरण सं. (पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण प्रोफाइल दर्शाते हुए फोटोकॉपी संलग्न करें) अन्यथा आवेदन मान्य नहीं होगा।								
2	उम्मीदवार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)								
3	पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)								
4	माता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)								
5	जन्म तिथि	अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ यहाँ चिपकाएं							
6	लिंग								
7	आधार कार्ड संख्या (स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)								
8	पैनकार्ड संख्या (स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)								
9	शैक्षिक योग्यता								
9.1	हाईस्कूल में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	प्राप्तांक			पूर्णांक				
9.2	हाईस्कूल में प्राप्त प्रतिशत								
9.3	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) संस्थान का नाम एवं पता सहित								
9.4	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) में ट्रेड								
9.5	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) में प्राप्त कुल अंक (स्व-प्रमाणित अंक एवं प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)		सेमेस्टर -I	सेमेस्टर -II	सेमेस्टर -III	सेमेस्टर -IV	सेमेस्टर -V	सेमेस्टर -VI	कुल
		कुल							
		प्राप्त अंक							
9.6	पूर्ण कालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) में प्राप्त प्रतिशत								
9.7	प्रमाणीकरण प्रकार (कृपया चिन्हित करें)								

10	जाति (स्पष्ट अक्षरों में)						
11	आप किस श्रेणी से संबंध रखते हैं (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)	एसीसी	एसटी	ओबीसी	पीएच	ई.डब्ल्यू.एस	जनरल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारिरिक रूप से दिव्यांग	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	सामान्य वर्ग
12	एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/अन्य होने की स्थिति में कृपया संबंधित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें	क्या प्रमाण पत्र संलग्न किया? (कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)			हाँ	नहीं	
13	पत्र व्यवहार का पता (स्पष्ट अक्षरों में) ** पिन कोड अनिवार्य है						
		पिन					
14	सम्पर्क	लैडलाइन:-					
		मोबाइल:-					
		ई-मेल:-					
		अभिभावक मोबाइल नं. :-					

नोट- उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर अप्रेंटिस के रूप में पंजीकरण कराएँ और उस संख्या को आवेदन फार्म में दर्शाएँ (वेबसाइट का नाम - डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) छात्र (nats.education.gov.in) साथ ही साथ पोर्टल पर संबंधित ट्रेड एलिम्को Establishment में भी आवेदन करें। अन्यथा आपका आवेदन मान्य नहीं होगा।

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान-

दिनांक-

उम्मीदवार के हस्ताक्षर (कृपया बॉक्स के अंदर करें)

शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन, मिनीरत्न -II श्रेणी में भारत सरकार
का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
जी.टी. रोड, कानपुर - 209217

1. प्रस्तावना

शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशानिर्देश निगम के मुख्यालय कानपुर तथा सभी केन्द्रों में स्थित नीचे उल्लिखित निम्नलिखित विभागों में शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रक्रिया में दिशानिर्देशन प्रदान करने के लिए हैं।

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग शामिल होंगे :

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एल्मिको) द्वारा मुख्यालय कानपुर तथा एल्मिको के सभी सहायक उत्पादन केन्द्रों में उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, डीडी प्रशासन, वित्त, सामग्री विभाग जैसे विभिन्न विभागों में शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

2. प्रयोज्यता :

ये दिशानिर्देश मुख्यालय तथा एल्मिको के सभी सहायक उत्पादन केन्द्रों के संबंध में लागू होंगे।

3. परिभाषा :

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से निम्नलिखित शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार होगा :-

3.1 "शिक्षु" - का अर्थ शिक्षुता अधिनियम, 1961 ("शिक्षुता अधिनियम") तथा शिक्षुता नियमावली, 1992 (दोनों, समय समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत शिक्षुता अधिनियम के अनुसरण में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा व्यक्ति है:

3.2 "शिक्षुता प्रशिक्षण" - का अभिप्राय निगम द्वारा शिक्षुता अनुबंध एवं निर्धारित नियमों एवं शर्तों, जो शिक्षुता के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न हो सकते हैं, के अनुसरण में आयोजित किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।

4. शिक्षुओं की स्थिति

किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षु (शिक्षुओं) को प्रशिक्षार्थी माना जाएगा तथा उन्हें, शिक्षुता अधिनियम अथवा सम्बद्ध नियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं के अलावा, कामगार नहीं माना जाएगा।

5. शिक्षुओं को प्रशिक्षण पर रखना

5.1 शिक्षुओं की पात्रता

5.1.2 अर्हता एवं शारीरिक स्वस्थता - केवल ऐसे शिक्षु (शिक्षुओं) को ही निर्दिष्ट व्यवसाय का शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विचार में लिया जाएगा जो शिक्षुता अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे;

5.2 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित प्रक्रिया

5.2.1 निगम द्वारा शिक्षु (शिक्षुओं) के प्रशिक्षण के संबंध में शिक्षुता अधिनियम तथा / अथवा सम्बद्ध नियम यथा निर्मित अथवा निर्मित किए जाने वाले नियमों में शिक्षु (शिक्षुओं) को प्रशिक्षण पर रखने के लिए बनाये गये निर्दिष्ट के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के मापदंड, वृत्तिका एवं अन्य प्रावधानों से संबंधित सभी विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा। सभी शिक्षुओं के साथ विधियों एवं नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा तथा जाति, जनजाति, लिंग, दिव्यांगता, नस्ल, लिंग भेद, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा।

5.2.2 श्रेणी

शिक्षुता के लिए दो प्रकार की श्रेणियां हैं ।

- (i) व्यवसाय शिक्षु - आईटीआई अर्हता प्राप्त उम्मीदवार
- (ii) तकनीशियन शिक्षु (डिप्लोमा धारक)

5.2.3 स्रोत :

प्रशिक्षण के लिए शिक्षुओं का चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा:

- (i) हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित ओपन विज्ञापनों के माध्यम से
- (ii) निगम की वेबसाइट www.alimco.in पर भी विज्ञापन जारी किया जाएगा।

6. चयन विधि :

- i. शिक्षुता अधिनियम, 1961 (समय समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित व्यवसाय / क्षेत्र के लिए मुख्यालय में आरडीएटी /बीओएटी द्वारा किए गए आवंटित सीटों तथा एल्मिको के अन्य सहायक उत्पादन केन्द्रों के लिए संमबन्धित आरडीएटी /बीओएटी द्वारा आवंटित सीटों के अनुसार परिशिष्ट-अ में उल्लिखित अर्हताओं की पूर्ति करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- ii. आवेदकों के निष्पादन का मूल्यांकन खंड 7 के अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

- iii. निर्धारित मूलभूत अर्हता के अनुसार प्राप्त अंकों के प्रतिशत तथा संबंधित व्यवसाय के संबंध में लागू अन्य मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जाएगा।
- iv. शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन बोर्ड के सम्मुख साक्षात्कार के लिए बुलाने के बुलावा पत्र साक्षात्कार की तिथि से कम से कम इक्कीस (21) दिन पूर्व पंजीकृत डाक / डाक प्रमाण / कोरियर सेवा / स्पीड पोस्ट / ई-मेल के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
- v. चयन समिति द्वारा उम्मीदवार की अर्हता, तकनीकी ज्ञान एवं साक्षात्कार में की गई प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा चयन समिति द्वारा अन्तिम चयन की सामान्य मेरिट सूची (Common Merit List) की अनुशंसा की जायेगी। चयन समिति की अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- vi. चयनित उम्मीदवार को ई-मेल/स्पीड पोस्ट/ कोरियर के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी तथा इसकी प्रस्तुति निगम की वेबसाइट पर की जाएगी।

7. चयन समिति

7.1 मुख्यालय के लिए चयन समिति :

चयन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा :

(I) तकनीकी व्यवसाय के लिए :

- (i) पीडी विभाग से एक अधिकारी जो ई-1 ग्रेड से कम ग्रेड से न हो
- (ii) उस विभाग से एक अधिकारी जहां शिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाना है।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासन विभाग से एक अधिकारी
- (iv) अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिकारी, जो ई-1 ग्रेड से कम ग्रेड से न हो ।

(II) गैर तकनीकी व्यवसाय के लिए :

- (i) सामग्री प्रबंधन विभाग से एक अधिकारी जो ई-1 ग्रेड से कम ग्रेड से न हो
- (ii) उस विभाग से एक अधिकारी जहां शिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाना है।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासन विभाग से एक अधिकारी
- (iv) अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिकारी, जो ई-1 ग्रेड से कम ग्रेड से न हो।

चयन समिति के सदस्यों के नाम का अनुमोदन महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

7.2 एल्मिकों के अन्य सहायक उत्पाद केन्द्रों के लिए चयन समिति:

चयन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा :

(I) तकनीकी तथा गैर तकनीकी व्यवसाय के लिए :

- (i) पीडी / विपणन विभाग से एक अधिकारी
- (ii) उस विभाग से एक अधिकारी जहां शिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाना है।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के क्रियाकलापों का संचालन करने वाला एक अधिकारी / कर्मचारी
- (iv) अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिकारी / कर्मचारी

8. अर्हता शर्तें :

- (i) **अर्हता:** ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार अर्हक परीक्षा, आई.टी.आई/ डिप्लोमा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ निर्धारित अर्हता।
- (ii) **आयु:** उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा आवेदन प्रस्तुत करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट)।
- (iii) **आईटीआई शिक्षुता के लिए उम्मीदवार का प्रोफाइल www.apprenticeshipindia.org पर तथा डिप्लोमा शिक्षुता के लिए www.nats.education.gov.in पर पंजीकृत किया गया होना चाहिए।**
- (iv) **न्यूनतम भौतिक मानक :** शिक्षुता नियमावली के खंड 4 तथा उनसे संबंधित संशोधन, यदि कोई हों, में किए गए निर्धारण के अनुसार
- (v) **पूर्व प्रशिक्षण:** वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे जो उम्मीदवार पहले से ही शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक अथवा निजी औद्योगिक संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अथवा वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं ।

9. शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आरक्षण:

शिक्षुता प्रशिक्षण सीटों के आरक्षण के संबंध में शिक्षुता नियमावली, 1992 के खंड 5 के प्रावधान लागू होंगे।

10. प्रशिक्षण की अनुसूची :

शिक्षुओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया वर्ष में केवल एक बार की जाएगी।

11. शिक्षता अनुबंध

- (i) चयनित आईटीआई / गैर-आईटीआई (फ़ेशर्स) को शिक्षता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षता अनुबंध करना होगा तथा यदि उम्मीदवार अवयस्यक है तो क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशक, कानपुर / उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशों के अनुसार उसके अभिभावक निर्धारित अनुबंध का निष्पादन कर सकते हैं।
- (ii) निगम द्वारा शिक्षु (शिक्षुओं) तथा निगम के बीच निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में निम्नलिखित का समावेश होना सुनिश्चित किया जाएगा:

निगम से संबंधित सूचना (नाम, पता, टेलीफोन, फ़ैक्स, ई-मेल);

शिक्षु से संबंधित सूचना (यथा नाम, पता, जन्म तिथि, आयु);

निर्दिष्ट व्यवसाय की अवधि ;

निर्दिष्ट व्यवसाय का नाम तथा वृत्तिका का विवरण ;

अभिभावक से संबंधित सूचना (नाम, पता);

सम्बद्ध नियम तथा शर्तें;

- (iii) शिक्षता अनुबंध के निष्पादन के पश्चात अनुबंध की तीन प्रतियां तैयार की जाएंगी तथा इन्हें निम्नानुसार धारित किया जाएगा:

i. शिक्षता अनुबंध की एक प्रति का धारण निगम द्वारा किया जाएगा।

ii. शिक्षता अनुबंध की एक प्रति शिक्षु को उपलब्ध करवाई जाएगी।

iii. निष्पादन के पश्चात शिक्षता अनुबंध की एक प्रति निर्धारित समयावधि में शिक्षता परामर्शदाता को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

12 शिक्षता की अवधि

शिक्षता अनुबंध प्रारंभ किए जाने की तिथि से शिक्षता की अवधि 12 माह होगी।

13 छुट्टी:

शिक्षु के लिए इसकी पात्रता शिक्षता अधिनियम एवं शिक्षता नियमावली के अनुसार होगी।

14. वृत्तिका:

मासिक वृत्तिका का भुगतान शिक्षता अधिनियम, 1961 एवं शिक्षता नियमावली, 1992 के अंतर्गत शासित निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा।

15. यात्रा व्यय:

किसी प्रकार का यात्रा व्यय (टीए/डीए) स्वीकार्य नहीं होगा।

16. बोर्डिंग / लॉजिंग:

किसी प्रकार का बोर्डिंग / लॉजिंग व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।

17 शिक्षता समय

निगम के कार्य समय के अनुसार (प्रातः 9 बजे से सायं 5.30 बजे)

18. शिक्षता अनुबंध की समाप्ति

12 माह की निर्धारित शिक्षता प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के पश्चात शिक्षता अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। शिक्षता की अवधि के दौरान शिक्षु द्वारा किया जाने वाले किसी प्रकार के गैर-अनुशासनिक कृत्य के कारण अनुबंध को रद्द करके प्रशिक्षण समाप्त किया जा सकेगा।

19. शारीरिक स्वस्थता:

शारीरिक स्वास्थ्य / चिकित्सा परीक्षा के मानक : शिक्षता अधिनियम, 1961 तथा शिक्षता नियमावली के अंतर्गत लागू शर्तों के अनुसार उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दस्तावेजों के सत्यापन के समय चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में सरकार द्वारा प्राधिकृत डॉक्टर (राजपत्रित), जो केन्द्रीय / राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के रैंक से कम न हो, द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र:

प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान अर्हता परीक्षा (कक्षा 12/10 / आईटीआई) उत्तीर्ण होने से संबंधित मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. प्रशिक्षण पूरा होना तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षुओं का शिक्षता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात निगम द्वारा उन्हें शिक्षता प्रशिक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र पर निगम के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे तथा यह शिक्षुओं को प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में निम्नलिखित उल्लेख होगा :

शिक्षुओं का नाम :

पंजीकरण संख्या :

शिक्षता व्यवसाय

प्रशिक्षण अवधि :

उम्मीदवार शिक्षता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत "राष्ट्रीय कौशल व्यवसाय प्रशिक्षण" द्वारा आयोजित की जाने वाली अंतिम व्यवसाय परीक्षा में तीन वर्ष की अवधि में भाग लेने के पात्र होंगे।

22. सामान्य शर्तें:

- (i) शिक्षुता अधिनियम, 1961, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत उम्मीदवार पहले से ही शिक्षुता प्राप्त अथवा वर्तमान में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा नहीं होना चाहिए।
- (ii) ऐसे उम्मीदवार तकनीकी शिक्षुता के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे जिन्होंने निर्धारित अर्हता की प्राप्ति के पश्चात एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए प्रशिक्षण अथवा कार्य अनुभव प्राप्त किया है।
- (iii) शिक्षुता की अवधि पूरी होने के पश्चात शिक्षुओं को नियमित रोजगार प्रदान के संबंध में एल्मिको उत्तरदायी नहीं होगा। शिक्षुता की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर उम्मीदवारों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्र से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।
- (iv) प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षु निगम की सम्बद्ध नियमावलियों / नीतियों / दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रशिक्षण हेतु लगाये जायेंगे।
- (v) उम्मीदवारों की पात्रता, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, चयन की विधि, चयन प्रक्रिया को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रद्द करना, उच्चतर शिक्षा इत्यादि से संबंधित प्रबंधन के सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे। इसके संबंध में किसी भी प्रकार का पत्रव्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर सीटों को प्रबंधन के विवेकानुसार भरा जाएगा तथा अनुपयुक्तता / अपर्याप्त संख्या के कारण यदि कोई सीटें भरी नहीं जाती हैं तो स्वीकृति के संबंध में प्राप्त किसी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

व्यवसाय / क्षेत्र

(अ) मुख्यालय में आईटीआई शिक्षुओं के लिए:

क्र.सं.	व्यवसाय	शैक्षणिक अर्हता
1	फिटर	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
2	इलेक्ट्रीशियन	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
3	इलेक्ट्रानिक मेकैनिक	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
4	मशीनिस्ट	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित
5	टर्नर	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य कौशल प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित व्यवसाय में एक वर्ष अथवा अधिक काल के लिए जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा आरडीएटी पोर्टल पर नामांकित

(ब) मुख्यालय में तकनीशियन शिक्षु (डिप्लोमा धारक) के लिए :

क्र.सं.	व्यवसाय	शैक्षणिक अर्हता
1	कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पर पोर्टल पर नामांकित।
2	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित
3	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित
4	आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवालय व्यवहार	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित

5	विद्युत अभियंत्रण	10+2 सिस्टम के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा (न्यूनतम 50% अंक के साथ) अथवा समकक्ष उत्तीर्ण तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा अधिसूचित व्यवसाय के लिए जारी पूर्णकालिक डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) व्यवसाय प्रमाण पत्र (न्यूनतम 50% अंक के साथ) का धारण तथा एन.ए.टी.एस पोर्टल पर नामांकित
---	-------------------	---

- टिप्पणी:** (1) शिक्षु को मुख्यालय में आरडीएटी / बीओएटी, कानपुर द्वारा आबंटित कोटे के अनुसार प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- (2) एल्मिको के अन्य सहायक केन्द्रों में शिक्षुओं को संबंधित आरडीएटी / बीओएटी द्वारा आबंटित कोटे के अनुसार निगम की ओर से जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया जाएगा।